R-23

रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 अक्तूबर, 2001/28 आश्विन, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 29 सितम्बर, 2001

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (उप0 नि0) 2001-2.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम पंचायत, बसन्तपुर के सदस्य, ग्राम पंचायत बसन्तपुर, वार्ड नं0 5 मन्डयाल जो सामान्य निर्वाचन 2000 में निर्वाचित घोषित हुए थे ने अपने पद से सरकारी नौकरी में नियुक्ति के कारण त्याग पत्र दे दिया है। जिसे खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा गया है। खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर ने इस त्याग पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, केवल शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 130(1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पदाधिकारी के त्याग पत्र को स्वीकृत करता हूं।

केवल शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला।

1976-राजपत्र/2001-20-10-2001—1,349.

मूल्य : 1 रुपया।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

हमीरपुर, 9 अक्तूबर, 2001

संख्या पंच हमीर0/सराहकड़-2001-3533-40.––उप-प्रधान ग्राम पंचायत, सराहकड़ तथा अन्य गांव वासी भरनांग, जिला हमीरपुर की उपायुक्त हमीरपुर को सम्बोधित शिकायत पर खण्ड विकास अधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी तथा इस कार्यालय के जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा जांच करवाए जाने पर श्री प्रेम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सराहकड़ के विरुद्ध पद, शक्तियों तथा धन राशि के दुरुपयोग के आरोप सिद्ध होने पर इस कार्यालय के द्वारा संख्या 2972-76, दिनांक 20-9-2001 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और क्योंकि सम्बन्धित प्रधान के उत्तर के प्रति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से पैरावार टिप्पणियां उपलब्ध हुई हैं, जिनके आधार पर निम्न अनुसार यह उत्तर असन्तोषजनक पाया गया है :––

1. ग्राम सभा सराहकड़ द्वारा प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 27-4-2000 के क्रम संख्या 3 अनुसार "निर्माण डंगा भरनांग" हेतु मु0 10,000/- रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया था, परन्तु इस कार्य पर यह राशि उपयुक्त न कर अपनी मर्जी से खेल मैदान पर सीमा दीवार के ऊपर व्यय कर दी गई है तथा जिस डंगे हेतु ग्राम सभा द्वारा गोजना स्वीकृत की गई है, नहीं किया गया है ।

2. सम्बन्धित प्रधान द्वारा जांच के समय व्यक्त किया है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक 20 फरवरी या 5 मार्च, 2001 की बैठक में ली है जबकि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अभिलेख (कार्यवाही पंजिका) के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम सभा ने दिनांक 4-3-2001 के पारित प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत मु0 10,000/- रुपये की राशि बचत खाता से निकालने की स्वीकृति ही दी है न कि इस कार्य को कराने के लिए दी है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सम्बन्धित प्रधान ने राशि निकालने की स्वीकृति ब्यान में व्यक्त कर जांच के समय तथ्यों को छुपा कर धोखा दिया है तथा गुमराह किया है ।

3. इस आरोप के प्रति प्रधान का उत्तर संतोषजनक एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है । क्योंकि रिकार्ड के मुताबिक उक्त कार्यों को मु0 11054/- रुपये व्यय दिखाया गया है जबकि प्रधान ने अपने ब्यान व कारण बताओ नोटिस के उत्तर में मात्र 10,000/- रुपये की अदायगी की गई मानी है जिससे प्रतीत होता है कि व्यय वाऊचर झूठे तैयार किए हैं ।

4. प्रधान द्वारा इस आरोप के प्रति दिया गया उत्तर असन्तोषजनक है तथा अपने प्रधान पद के दायित्वों को निभाने की जिम्मेवारी से परे हटने के कृत्य का प्रमाण व्यक्त करता है, क्योंकि उक्त प्रधान पूर्व पंचायत में उप-प्रधान के पद पर पदासीन थे तथा उन्हें पंचायत की कार्य प्रणाली एवं नियम/अधिनियम की जानकारी भली-भान्ति थी क्योंकि सन् 1998 में सभी पंचायत पदाधिकारियों को विभाग द्वारा पंचायती राज अधिनियम/नियम की जानकारी के साथ-साथ उनके दायित्वों के प्रति जानकारी दी गई थी ।

5. प्रधान का उत्तर कि उन्होंने कथित युवा मण्डल निर्माण कमेटी द्वारा चालू किए निर्माण कार्य का मौका पर निरीक्षण नहीं किया है क्योंकि इस समिति में इलाके के चुने हुए बी0 डी0 सी0 मैम्बर खुद काम करवा रहे थे तो मौका की ज्यादा तहकीकात करनी जरूरी नहीं थी, असन्तोषजनक है ।

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध लगाए आरोपों पर उत्तर उक्त आधार पर असन्तोषजनक पाया गया है तथा इस मामले में और आगामी कार्यवाही निष्पक्ष रूप से करने के लिए उनके पद से निलम्बित करना अनिवार्य समझा गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रेम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सराहकड़, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपने पद का कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सराहकड़ को तुरन्त सौंप दे तथा यदि उनके पास कोई ग्राम पंचायत की सम्पत्ति या धनराशि हो तो उसे भी सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंप देंगे ।

हस्ताक्षरित/-
जिला पंचायत अधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर

कार्यालय आदेश

हमीरपुर, 16 अक्तूबर, 2001

संख्या-पंच/हमीर/2001-3647-52.—क्योंकि उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सराहकड़ तथा अन्य ग्राम वासी, गांव भरनांग, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के शिकायत पत्र जो कि उपायुक्त, हमीरपुर को सम्बोधित है, पर खण्ड विकास अधिकारी बमसन स्थित टौणी देवी तथा जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायत), कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर द्वारा जांच करवाए जाने पर श्री रमेश चन्द, सदस्य, पंचायत समिति बमसन, प्रधान ग्राम पंचायत सराहकड़ के द्वारा सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने तथा पद एवं शक्तियों के दुरुपयोग करने में सहयोग देने में दोषी पाए जाने पर उन्हें कार्यालय आदेश संख्या पंच/हमीर/2001-2478-84, दिनांक 24-9-2001 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था ।

और क्योंकि उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या-एस डी एम (सहायक)-1017 दिनांक 1-10-2001 द्वारा श्री रमेश चन्द, सदस्य पंचायत समिति बमसन का कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हुआ है जिसकी समीक्षा करने पर निम्न प्रकार से उत्तर असन्तोषजनक पाया गया है:—

1. ग्राम पंचायत सराहकड़ द्वारा 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' के अन्तर्गत अखाड़ा मैदान भरनांग, की सुरक्षा दीवार के निर्माण पर मु0 11,054/- रुपये के बाउचर सत्यापन नहीं कर सकते थे, किन्तु बाउचर सत्यापित किये गये । श्री रमेश चन्द, पंचायत समिति सदस्य ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उन्होंने बाउचर सचिव के कहने पर ही बाउचरों पर हस्ताक्षर किये उनका यह उत्तर तथ्यों के प्रतिकूल तथा असन्तोषजनक है ।
2. आरोप नं0 2 का उत्तर भी सत्य पर आधारित नहीं है । क्योंकि निर्माण कमेटी केवल कार्य को मौका पर कराए जाने हेतु एवं उसकी भौतिक देख-रेख हेतु ही उत्तरदायी होती है । राशि की अदायगी ग्राम पंचायत में उसके सदस्यों के सम्मुख प्रधान की देख-रेख में पंचायत सचिव द्वारा की जानी होती है। श्री रमेश चन्द न तो युवक मण्डल का सदस्य था न ही किसी विधिवत गठित निर्माण कमेटी का । जिससे स्पष्ट है कि यत सब गैर-कानूनी कार्य था । ग्राम पंचायत सराहकड़ के प्रधान (निलम्बित) श्री प्रेम सिंह ने अपने ब्यान में यह माना है कि उसने मु0 10,000/- रुपये की अदायगी की है जबकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की ग्राम पंचायत रोकड़ बही में बाउचर मु0 11054/- रुपये के दर्ज हुए हैं । जिससे स्पष्ट है कि सरकारी धन का गबन करने का प्रयास हुआ है तथा पंचायत समिति

सदस्य ने वाउचरों पर सत्यापन हस्ताक्षर करके इसमें पूरा सहयोग दिया है। पंचायत सचिव पर इस सब की जिम्मेदारी डालकर उसने स्वयं बचने की मात्र कोशिश की है, जो कि उसे पद कि हैसियत के विरुद्ध कार्य है।

और क्योंकि उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री रमेश चन्द, पंचायत समिति सदस्य बमसन ने प्रधान ग्राम पंचायत, सराहकड़ के साथ समस्त मामले में मिली भगत की है तथा उनके कृत्य, कर्तव्य एवं शक्तियों के विपरित है तथा इस मामले में आगामी कार्यवाही निष्पक्ष रूप से करने के लिए उनके पद से निलम्बित करना अनिवार्य समझा गया है।

अतः हिमाल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(1) के अन्तर्गत हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रमेश चन्द को पंचायत समिति बमसन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के सदस्य के पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

सिरमौर, 9 अक्तूबर, 2001

संख्या एफ0 डी0 एस0 34-690/77-8616-65.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0 34-690/77-7609-49, दिनांक 29-8-2001 जो असाधारण राजपत्र में, दिनांक 3-9-2001 को प्रकाशित हो चुकी है की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा 3(1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कौशल, भा0 प्र0 से0, जिला दण्डाधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में दर्ज आवश्यक वस्तुओं के परचून भाव आगामी दो मास तक लागू करने के आदेश देता हूं।

राकेश कौशल,
जिला दण्डाधिकारी,
सिरमौर (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।